

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.गं.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2023 को प्रातः 09:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
10.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
15.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० पी.के. बाजपेयी

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय ने प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया तथा जीवन यापन के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए सहज प्रवृत्ति की उपयोगिता पर बल दिया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-


विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।


विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.07.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।





- विषय क्र. 03. विश्वविद्यालय की **Innovation, Incubation and Start-up Policy** के प्रारूप पर विचार करना।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की Innovation, Incubation and Start-up Policy के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 04. *गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और **SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED (SECL)** के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और **SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED (SECL)** के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 05. छात्र शिवानंद होता एम.एससी. गणित का मेस शुल्क/हॉस्टल शुल्क वापस करने पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्र से एक माह का छात्रावास शुल्क प्रस्तावानुसार काटकर शेष राशि छात्र को लौटा दिया जाय।
- विषय क्र. 06. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और **L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY (ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)** के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और **L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY (ASTANA, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)** के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 07. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों हेतु अधिवक्ता श्री हरेश रायचुरा को अधिवक्ता पैनल में सूचीबद्ध किये जाने पर विचार संबंधी।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर होने वाले प्रकरणों हेतु अधिवक्ता श्री हरेश रायचुरा को अधिवक्ता पैनल में सूचीबद्ध किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 08. विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर इन्डेन्जर्ड लैंग्वेज हेतु अस्थायी शिक्षकों की सेवा एवं छात्रों के प्रवेश पर विचार संबंधी।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव अमान्य किया जाय।
- विषय क्र. 09. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 20.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ समिति की बैठक दिनांक 20.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।


28/07/2023


(2)
28/07/23

- विषय क्र. 10. विभागीय शोध समिति न्यायालयिक विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 18.05.2023 द्वारा शोधार्थी आयुशी पाठक के लिए सह-शोध निर्देशक नियुक्त किये जाने की अनुशंसा पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सह-शोध निर्देशक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 11. विभागीय शोध समिति न्यायालयिक विज्ञान विभाग की बैठक दिनांक 18.05.2023 द्वारा शोधार्थी संजीदा शबनम के लिए सह-शोध निर्देशक नियुक्त किये जाने की अनुशंसा पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सह-शोध निर्देशक नियुक्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 12. अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की बैठक दिनांक 02.07.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल वाणिज्य विभाग की बैठक दिनांक 02.07.2023 द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का बैठक के दौरान हुए संशोधन सहित अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति यह भी निर्णय लेती है कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।
- विषय क्र. 13. विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों के प्रारूप पर विचार करना।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत तीन नीतियों के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

- अ.अ.वि.क्र.1 विश्वविद्यालय के छात्रावासों के मुख्य अधीक्षक के माध्यम से छात्रावास आबंटन एवं शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डी टाईप आवासों के आबंटन हेतु प्रति छात्र शुल्क 1000/- प्रति माह रखा जाय।
- अ.अ.वि.क्र.2 विश्वविद्यालय के आई.क्यू.ए.सी. के माध्यम से एडजंट फैकल्टी नियुक्त किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्तावानुसार शिक्षकों को एडजंट फैकल्टी नियुक्त किया जाय।
- अ.अ.वि.क्र.3 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और THE UNIVERSITY OF JAEN (SPAIN) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।
विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और THE UNIVERSITY OF JAEN (SPAIN) के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।


28/07/2023


28/07/23

अ.अ.वि.क्र.4

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और RAIPUR SMART CITY LTD. के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।


विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और RAIPUR SMART CITY LTD. के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.5

* गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।



कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव



कुलपति / अध्यक्ष